भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 915
25 जुलाई, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:संधारणीय कृषि हेतु अभियान

915. **श्री ए राजा:**
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या जी-20 की कृषि मंत्रियों की बैठक में वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में किसानों के लिए उर्वरकों के व्यापक उपयोग के बिना संधारणीय खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई अभियान शुरू किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या इस दिशा में प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना बनाई/क्रियान्वित की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी-20 कृषि मंत्रियों की बैठक 15 जून से 17 जून, 2023 के बीच हैदराबाद में संपन्न हुई जिसका विषय वैश्विक खाद्य सुरक्षा था और इसमें समावेशी, अनुकूल एवं सतत कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के माध्यम से सभी के लिए खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया। जी-20 कृषि मंत्रियों ने बैठक में वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ बनाने एवं संपूर्ण विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने हेतु दक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का समर्थन किया और साथ ही श्री अन्न एवं अन्य प्राचीन अनाजों पर शोध हेतु नई जी-20 अंतर्राष्ट्रीय पहल की शुरूआत का स्वागत किया।

(ख) एवं (ग): सतत कृषि के विकास हेतु, सरकार वर्ष 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। दोनों ही योजनाएँ, जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रसंस्करण से लेकर प्रमाणन एवं विपणन तथा फसलोपरांत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तक पूर्ण सहयोग प्रदान करने पर ज़ोर देती हैं। पीकेवीवाई योजना का क्रियान्वयन देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा

है,सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों के,जहाँ पर जैविक खेती के प्रचार के लिए 'एमओवीसीडीएनईआर' नाम से एक पृथक्क योजना क्रियान्वित की जा रही है।

पीकेवीवाई के तहत, देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 50000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसमें से ऑन एवं ऑफ़ फ़ार्म जैविक आदान के लिए 31000 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुँचाई जा रही है। विपणन, पैकेजिंग, ब्रैंडिंग, मूल्यवर्धन एवं अन्य विपणन संबंधी पहलों के लिए 3 वर्ष तक 8800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रमाणन एवं अवशिष्ट विश्लेषण हेतु 3 वर्ष के लिए 2700 रुपए/हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु भी 3 वर्ष के लिए 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ) बनाने के लिए, किसानों को जैविक आदान उपलब्ध कराने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण बीज/रोपण सामग्री, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रमाणन हेतु 46,575 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत, किसानों को ऑन एवं ऑफ़ फ़ार्म जैविक आदान हेतु 32500 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****